मा0उच्चतम न्यायालय प्रकरण

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

पंचम तल्, पिकप भवन विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010.

पत्र संख्या–6757/सामा–1(3)/सीआरपीसी 436ए रिट–406/2013–2015, दिनांक : 31 मई, 2016

सेवा में,

श्री वेदान्तम गिरि,
संयुक्त सचिव(एस0आर)
गृह मत्रालय, भारत सरकार,
(सी0एस0डिवीजन), 5वां तल, एन0डी0सी0सी0–II,
बिल्डिंग, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली।

विषयः **Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 406/2013 titled Re: inhuman Conditions Prevailing in 1382 prisons india before Hon'ble Supereme Court of India reg.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–V-17014/4/2013-PR गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, दिनांक–13 मई, 2016 के द्वारा प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध 150 प्रतिशत क्षमता से अधिक बंदियो की ओवर काउंडिग के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना हैं कि दिनांक–30.04.2016 तक प्रदेश में कुल–67 कारागारों में से 47 कारागारों में 150 प्रतिशत क्षमता से अधिक बंदी निरूद्ध है। इस सम्बन्ध में वर्तमन में प्रचलित Action Plan की वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

31/5

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या– /सामा–1(3)/सीआरपीसी 436ए रिट–406/2013–2015,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री गौरव अग्रवाल, एडवोकेट, मा0 उच्चतम न्यायालय,ई–108 ग्रेटर कैलाश पार्ट–2 निकट आर्य समाज मन्दिर, नई दिल्ली को उपरोक्त सूचना संलग्नकर प्रेषित है।

(2) सुश्री प्रगति नीखरा एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को उपरोक्त सूचना संलग्नकर प्रेषित है।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।